# प्राक्कलन समिति

**संविधान**

1950 में पहली बार गठित अनुमानों पर समिति एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जो लोकसभा द्वारा हर साल अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों के बीच से की जाती है । किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता और यदि समिति में चयन के बाद किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो सदस्य ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य बन जाता है ।

**पद की अवधि**

समिति के पद का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

**कार्यों**

प्राक्कलन समिति के कार्य हैं-

- यह रिपोर्ट करने के लिए कि अनुमानों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं, संगठन, दक्षता या प्रशासनिक सुधार में सुधार को प्रभावित किया जा सकता है;
- प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;
- यह जांचने के लिए कि क्या अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर धन अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है; और
- उस रूप का सुझाव देना जिसमें अनुमान संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

समिति ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अपने कार्यों का प्रयोग नहीं करती है जैसा कि लोकसभा या अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति को आवंटित किया जाता है ।

**काम**

इसके गठित होने के तुरंत बाद समिति केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग या केंद्र सरकार के सांविधिक और अन्य निकायों से संबंधित ऐसे अनुमानों का चयन करती है जैसा कि समिति के लिए उपयुक्त लग सकता है । समिति विशेष रुचि के मामलों की भी जांच करती है जो अपने कार्य के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं या प्रकाश में आ सकते हैं या जिन्हें विशेष रूप से सभा या अध्यक्ष द्वारा इसका उल्लेख किया जाता है ।

समिति परीक्षा के लिए चयनित विषयों के संबंध में मंत्रालय/विभाग, सांविधिक और अन्य सरकारी निकायों से प्रारंभिक सामग्री और समिति के सदस्यों के उपयोग के लिए विषयों से जुड़े गैर-अधिकारियों से ज्ञापन भी मांगती है ।

समिति समय-समय पर विभिन्न विषयों की विस्तृत परीक्षा कराने के लिए एक या अधिक उप-समितियां/अध्ययन समूह नियुक्त करती है।

यदि समिति को यह प्रतीत होता है कि इसकी जांच के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि ऑन-स्पॉट अध्ययन किया जाना चाहिए, तो समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी विशेष मामले, परियोजना या प्रतिष्ठान का अध्ययन करने के लिए या तो एक संपूर्ण समिति के रूप में या स्वयं को अध्ययन समूहों में विभाजित करके यात्राएं करने का निर्णय ले सकती है । जिन संस्थाओं/कार्यालयों आदि का दौरा किया जाना है, उसके संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि से पहले से ही नोट मांगे जाते हैं और समिति/उपसमिति/अध्ययन समूह के सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ।

जब समिति/उप-समिति/अध्ययन समूह अध्ययन यात्रा पर होता है, तो यात्रा स्थल पर केवल अनौपचारिक बैठकें आयोजित की जाती हैं । ऐसी बैठकों में न तो साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं और न ही कोई निर्णय लिया जाता है। मंत्रालयों/विभागों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधि के साथ समिति द्वारा की गई सभी चर्चाओं को गोपनीय माना जाता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाओं तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चर्चा के दौरान उठाए गए मामलों के बारे में पे्रस या किसी अनधिकृत व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं नुसार संवाद करना चाहिए ।

बाद में अध्ययन यात्राओं के दौरान अनौपचारिक चर्चाओं, गैर अधिकारियों से प्राप्त ज्ञापनों और संबंधित मंत्रालय/विभाग और अन्य स्त्रोतों से एकत्र की गई सूचना के आलोक में, नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित समिति की औपचारिक बैठकों में साक्ष्य देने के लिए गैर-सरकारी और सरकारी गवाहों को आमंत्रित किया जाता है ।

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें लोकसभा में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्टों में सन्निहित हैं।

लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय या संबंधित विभाग को रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों के निष्कर्षों पर छह महीने की अवधि के भीतर या समिति के निर्देशानुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है । सरकार के उत्तरों की जांच समिति द्वारा की जाती है और लोकसभा में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कार्रवाई रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के उत्तर बयानों के रूप में लोक सभा के पटल पर रखे गए हैं।

**उपलब्धियों**

अप्रैल, 1950 में अपनी स्थापना के बाद से समिति ने भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए 1121 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इनमें से 627 मूल रिपोर्टें हैं और 494 समिति की पूर्व रिपोर्टों पर सरकार द्वारा 13 दिसबंर, 2018 तक की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्टें हैं।